अपील सूचना अधिकार संख्या 169/2016 अनवानी श्री संजय छाबड़ा पुत्र श्री इंद्रमोहन निवासी वार्ड नं. 10 नया, रामनाथ कुटिया के पीछे, सूरतगढ बनाम लोक सूचना अधिकरी, तहसीलदार , सूरतगढ

30—08—2017

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री संजय छाबड़ा उपस्थित नही है। लोक सूचना अधिकारी के प्रतिनिधि उपस्थित नही है। पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी श्री संजय छाबड़ा सिंह ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन पत्र दिनांक 06.10.2016 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार, सूरतगढ़ से निम्न सूचनाएं चाही थीः—

1. श्रीमान जिला कलक्टर श्रीगंगानगर द्वारा सितम्बर 2016 में वर्तमान पदस्थापित श्रीमान् तहसीलदार, सूरतगढ को 17 सी.सी.ए. का नोटिस किस सम्बन्ध में प्राप्त हुआ, समस्त जानकारी की प्रतियां एवं संबंधित नोटिस की प्रतियां।
2. तत्कालीन अतिरिक्त कलक्टर, सूरतगढ द्वारा दिनांक 10 जून, 2016 को विभागीय जांच विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने के लिए तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई थी, सम्बन्धित रिपोर्ट सूरतगढ तहसीलदार द्वारा कब (दिनांक एवं वर्ष) उपलब्ध करवाई गई, इस सम्बन्ध में जानकारी की प्रति।
3. वक्फ बोर्ड कमेटी, सूरतगढ की ग्राम पंचायत मानकसर में कुल भूमि के नक्शे की प्रति।
4. वर्तमान पदस्थापित सूरतगढ तहसीलदार द्वारा जनवरी, 2016 में ग्राम पंचायत मानकसर भाट बस्ती नेशनल हाईवे—62 पर सड़क किनारे वक्फ बोर्ड कमेटी, सूरतगढ को भूमि अपने कब्जे में लेने के सम्बन्ध में तारबन्दी करने में सहयोग करने के सम्बन्ध में प्राप्त हुए आदेश की प्रति।
5. वर्तमान सूरतगढ़ तहसीलदार ने जनवरी, 2016 में ग्राम पंचासत मानकसर भाट बस्ती नेशनल हाईवे सड़क किनारे वक्फ बोर्ड कमेटी को कुल कितनी भूमि पर तारबन्दी करने में सहयोग किया, इस सम्बन्ध में समस्त जानकारी की प्रति।
6. सूरतगढ तहसील कार्यालय में पटवारियों के कुल कितने पद स्वीकृत है एवं वर्तमान मे कितने पद रिक्त है, समस्त जानकारी की प्रति तथा रिक्त पदो को भरने के लिए उच्चाधिकारियों को कब कब अवगत करवाया गया, समस्त पत्रों की समस्त प्रतियां।
7. सूरतगढ तहसील कार्यालय में कार्यरत कर्मी पंकज सचदेवा के खिलाफ ई—मित्र संचालकों द्वारा तहसीलदार को सितम्बर—2016 में शिकायत प्राप्त होने पर क्या कार्यवाही की गई, इस सम्बन्ध में की गई समस्त कार्यवाहियों की समस्त प्रतियां।
8. श्रीमान् तहसीलदार सूरतगढ द्वारा 05 जनवरी, 2016 से आज दिनांक तक जारी किये गये समस्त मूल निवास प्रमाण—पत्रों एवं जाति प्रमाण पत्रों की छाया प्रतियां।
9. सूरतगढ में वर्तमान में पदस्थापित तहसीलदार ने सूरतगढ में पदस्थापन दिनांक से आज दिनांक तक कुल कितने अवकाश प्राप्त किये। समस्त अवकाशों के समस्त विवरण की प्रतियां।
10. वर्तमान तहसीलदार सूरतगढ द्वारा समस्त तहसील क्षेत्र में वर्तमान में संचालित ई—मित्र (दुकाने), पेट्रोल पम्पों, गैस एजेन्सियों, उचित मूल्य राशन की दुकानो का औचक निरीक्षण व बाट—माप का भौतिक सत्यापन कब—कब किया गया, वर्ष व दिनांक सहित समस्त जानकारी की प्रति एवं खामियां मिलने पर मौके पर ही की गई कार्यवाहियों की समस्त प्रतियां।

Web Copy - Not Official

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

अपीलार्थी ने यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत इस आधार पर प्रस्तुत की है कि उसके द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन पत्र दिनांक 06.10.2016 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार, सूरतगढ से चाही गई सूचनांए उनके द्वारा उपलब्ध नही करवाई गई है जो उसे निशुल्क उपलब्ध करवाई जावे एवं 250 रूपये प्रतिदिन की दर से 25000रूपये प्रतिकर दिलावाया जावे एवं उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावे।

अपीलार्थी के अपील पत्र के संबंध में तहसीलदार, सूरतगढ ने अपना प्रतिवेदन संख्या 860 दिनांक 28.11.16 प्रस्तुत किया है कि अपीलार्थी का प्रा0 पत्र दिनांक 03.11.16 को उनके कार्यालय में प्राप्त हुआ है जिसका उत्तर उनके द्वारा पत्र सं0 859 दिनांक 25.11.16 से अपीलार्थी को भिजवा दिया गया था।

तहसीलदार, सूरतगढ ने अपने पत्र सं0 859 दिनांक 25.11.16 से अपीलार्थी को निम्नानुसार भिजवाया गया है:–

> उपरोक्त विषयान्तर्गत आप द्वारा चाही गई सूचना का जवाब निम्नलिखित है:–
> **बिन्दु संख्या 01 व 02, 07 व 08** में आप द्वारा कार्मिको व अधिकारियों के बारे में व्यक्तिगत सूचनाएं चाही गई जो कि सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 8(1)(जे) के तहत निर्बन्धो में आती है, जो कि देय नही है।
> **बिन्दु संख्या 03** मे आप द्वारा ग्राम पंचायत मानकसर में कुल भूमि के नक्शे की प्रति चाही है। लैण्ड रिकॉर्ड रूल्स के अनुसार प्रतिलिपि शुल्क 20/– रूपयें का संदाय कर व्यक्तिश उपस्थित आकर पटवारी हल्का मानकसर एव तहसील कार्यालय से प्राप्त कर सकते है।
> **बिन्दु संख्सा 04 एवं 05** में आप द्वारा वक्फ बोर्ड कमेटी सूरतगढ को भूमि अपने कब्जे में लेने, तारबन्दी करने में सहयोग करने से आदि से संबंधित प्रश्नात्मक सूचना चाही गई है। आप द्वारा उक्त के संबंध में विशिष्टियों में दिनांक का अंकन नही किया है, और यह नही बताया कि किस के प्रार्थना पत्र पर ऐसी कार्यवाही हुई। आप द्वारा दी गई विशिष्टियां अपूर्ण है और चाही गई सूचना प्रश्नात्मक है। इस प्रकार की कार्यवाही किसी न्यायालय के आदेशों की पालना मे संपादित की जाती है। आप द्वारा पूर्ण विशिष्टियां प्रदान कर सूचना प्राप्त की जा सकती है।
> **बिन्दु संख्या 06** में आप द्वारा चाही गई सूरतगढ तहसील कार्यालय में कुल पटवारियों के स्वीकृत पद, वर्तमान में रिक्त पद कितने है, माह अक्टूबर 2016 के मानचित्रानुसार कुल 66 पद स्वीकृत है। जिसमें से 36 पद रिक्त है और हर माह इसकी रिपोर्ट जिला कार्यालय को भिजवाई जाती है।
> **बिन्दु संख्या 09** में वर्तमान में अधोहस्ताक्षरकर्ता दिनांक 05.01.2015 से तहसीलदार सूरतगढ के पद पर कार्यरत है, इस दौरान 23,24 फरवरी 2016 को 2 दिन आकस्मिक अवकाश लिया है। (प्रार्थना पत्र की प्राप्ति जिला कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।)
> **बिन्दु संख्सा 10** में आप द्वारा चाही गई सूचना प्रश्नात्मक है। सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत प्रश्नात्मक प्रकृति की सूचना देय नही है।
> आप द्वारा चाही गई सूचनाओं के सबंध में कार्य दिवस पर कार्यालय में उपस्थित आकर निरीक्षण शुल्क का नियमानुसार संदाय कर पूर्ण विशिष्टियां सृजित कर नियमानुसार देय सूचना प्राप्त कर सकते है। जो कि अधिनियम के निर्बन्धो से मुक्त हो।

तहसीलदार, सूरतगढ द्वारा अपीलार्थी को दिये गये उक्त उत्तर के अनुसार बिन्दु सं0 6 व 9 की सूचना उपलब्ध करवाई जा चुकी है व ब्रिन्दु सं0 3 की सूचना के लिए प्रतिलिपि शुल्क 20 रूपये संबंधित पटवारी हल्का मानकसर या तहसील कार्यालय में संदाय कर प्राप्त करने के लिए निदेशित किया गया है। बिन्दु सं 1 व 2 एवं 7 व 8 की सूचना कर्मचारियों/अधिकारियों की व्यक्तिगत सूचना होने से सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 8(1)(जे) के तहत निर्बन्धो में आने के कारण उपलब्ध नही करवाई गई है।

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

बिन्दु सं0 4, 5 व 10 की सूचना प्रश्नात्मक रूप में होने के कारण उपलब्ध नही करवाई गई है।

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दो में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए। सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करे जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोजकर नागरिक को ऐसे खोजे गये तथ्यो को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते। सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त "सूचना" का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। सूचना के रूप में कोई सुझाव देना किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है। इस प्रकार लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को दिया गया उत्तर दिनांक 25.11.16 सही है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नही होती है। इसलिए अपीलार्थी की अपील खारिज करने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार सूरतगढ एवं अपीलार्थी को भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

यह आदेश आज दिनांक 30.08.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सा०/-

(ज्ञाना राम)

जिला कलेक्टर

श्रीगंगानगर